उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और विदेशी संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि

1764. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और विदेशी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 की अपेक्षा कम धनराशि आबंटित की गई है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में चल रही प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्य शामिल हैं, के अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना क्रियान्वित की गयी है । इस परियोजना की उप परियोजना क्रमश: मध्य गंगा परियोजना और इस परियोजना पर जनवरी, 1994 तक हुई प्रगति क्रमश: लगभग 82 प्रतिशत और 86 प्रतिशत है । राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध परियोजना पर परिव्ययों का ब्यौरा तथा विश्व बैंक से प्राप्त प्रतिपूर्ति संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

(i) अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध किया गया परिव्यय

(राशि : करोड़ रुपये)

वर्ष	अपर गंगा नहर	मध्य गंगा नहर	कुल
1989-90	50	–	50
1990-91	70	17	87
1991-92	68	20	88
1992-93	92	28	120
1993-94	98	28 6	126.6

(ii) विश्व बैंक से प्राप्त वर्ष वार प्रतिपूर्ति का ब्यौरा

वर्ष	1984-85 से 88-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 5	1993-94
प्रतिपूर्ति (मिलियन एस डी आर में)	26.8	6.6	14.8	17.9	12.2	5.3 (12/93) तक

(एस डी आर : विशेष आहरण अधिकार)

टिप्पण : (1) विश्व बैंक अपने उदार ऋण सम्बद्ध अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपर गंगा सिचाई आधुनिकीकरण परियोजना (क्रेडिट सं० 1483 आई एन) को 99.1 मिलियन एस डी आर की क्रेडिट सहायता प्रदान कर रहा है। परियोजना करार 2-9-1984 से प्रभावी हो गया है तथा चालू क्रेडिट समाप्ति की तारीख 30-9-1994 है।

(2) विनिमय दर में वर्ष दर वर्ष उतार-चढाव आने के कारण मिलियन एस डी आर में प्रतिपूर्ति के आंकड़ों से रुपये के रूप में प्राप्त वास्तविक प्रतिपूर्ति की झलक नहीं मिलती है। करार के समय एक एस डी आर का मूल्य 11.50 रुपये था जबकि अब यह 42.90 रुपये है।

(3) यह देखा जाए कि भारतीय मुद्रा (रुपये) के रूप में प्राप्त की गयी सहायता 1989-90 और 1990-91 की तुलना में कम नहीं है।

(4) कार्यों की भौतिक प्रगति विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है जो निम्न हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली निविदा कागजातों को अंतिम रूप देने में विलम्ब,

(ii) वन स्वीकृति में विलम्ब :

(iii) ठेके संबंधी समस्याएं जिनके कारण पुनः निविदाएं मंगानी पड़ती हैं।

(iv) भूमि अधिग्रहण समस्या; और

(v) मध्य गंगा नहर के लिये अधिग्रहण संबंधी कार्यकलापों में विलम्ब

Dislocation of People due to Irrigation Projects

1765. SHRIMATI ILA PANDA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any policy regarding settlement of people dislocated on account of major irrigation projects; and

(b) what is the cost of rehabilitation of the oustees included in the project cost ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) The cost of rehabilitation of the oustees vary from project to project and State to State depending upon the extent of submergence and the re settlement and rehabilitation package of the concerned State/Project. However, Government has formulated policy guidelines for resettlement and rehabilitation and circulated to all the State Governments/ Union Territories. State Governments/Union Territories are required to offer their observations/concurrences.

Settlement of Inter State Water Disputes

1766. SHRIMATI ILA PANDA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) the inter-state river water disputes which are still remain to be settled; and

(b) what action is being taken to settle these disputes expeditiously ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) Under the provisions of the Inter-State Water Disputes Act, 1956, two disputes namely, sharing of surplus Ravi & Beas waters and sharing of Cauvery waters have been referred to the Tribunals in April, 1986 and June, 1990